सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 24/15 **निर्णय दिनांकः— 26—07—2019**

1. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी मुंदड तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. कानाराम | पुत्रगण रेखाराम जाति ब्राहमण निवासी मुंदड़ तहसील
2. सत्यनारायण | नोखा जिला बीकानेर
3. मु. हवा देवी पत्नी रेखाराम
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27—02—2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 27—02—2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि नये खसरा नम्बर 110 तादादी 4.53 हेक्टर भूमि वाके रोही मुन्दड़ तहसील नोखा में स्थित है। जिसकी बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा धोषणा व चिर निषेधाज्ञा का वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की खसरा नम्बर 110 तादादी 4.53 हेक्टर पश्चित दिशा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति का संवत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13—07—2012 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि सवंत् 2012 से पूर्व उनके कब्जे काश्त में रही हो। केवल मात्र मौखिक कथन से रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के कथनों को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा राजस्व अमला से साजबाज करके तमाम भूमि अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा ली गई है। अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पिता/पति के कब्जे काश्त में संवत् 2012 से पूर्व चली आ रही है। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में चूंकि बिना किसी सक्षम आदेश के रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया गया है। दौराने वाद यदि वादगत् भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन, बैय व मुन्तकिल किया गया अथवा भूमि की किस्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2000 पेज 573 व आरआरडी 1959 पेज 187 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2013—2016 में खसरा नम्बर 12 के 9 बीघा 9 बिस्वा हिस्से पर दुर्गाराम की तथा शेष 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर रेखाराम की काश्त दर्ज है। जमाबन्दी में नोट लगाया गया है कि हुक्म द्फतर सेटलमेंट ऑफिसर बीकानेर तारीख 06—07—1947 खाता (अपठनीय) सालम लगान.....(अपठनीय) दुर्गाराम काबिज मौके पर है। जमाबन्दी संवत् 2017 में भी खसरा नम्बर 12 के 8 बीघा 9 बिस्वा पर काश्तकार के रूप में रेखाराम वल्द लूणाराम दर्ज रहा है। खसरा गिरदावरी संवत् 2013 में खसरा नम्बर 12 के सम्पूर्ण रकबा 17 बीघा का खातेदार के रूप में केवल दुर्गाराम का अंकन किया गया है, परन्तु 8 बीघा 9 बिस्वा पर काश्त दुर्गाराम की दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2022 में सम्पूर्ण 17 बीघा 18 बिस्वा भगवानाराम, गोपालराम पिसरान दुर्गाराम के खाते में दर्ज है।

इसप्रकार टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वर्ष संवत् 2012 (सन् 1955) से 2020 तक 8 बीघा 9 बिस्वा हिस्से पर रेस्पोडेन्ट के ति‍ा रेखाराम की काश्त दर्ज है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण रकबों अर्थात 17 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी लगातार दुर्गाराम एवं उसके वारिसों के नाम दर्ज रही है। वर्तमान में अपीलांट्स रिकार्डेड खातेदार है। जब तक वर्तमान प्रविष्ठी को अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक गत् 50 वर्ष के राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अन्य का कब्जा होना नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेन्ट्स ने वर्ष 2020 के बाद अचानक बिना किसी आदेश के 8 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी अकेले दुर्गाराम एवं उसके वारिसों के नाम दर्ज करने की कार्यवाही को शून्य प्रभावी बताया है तथा उक्त पूर्व प्रविष्ठी के आधार पर कब्जा मानकर उसके कब्जे के संरक्षण का अनुतोष मांगा है, परन्तु गत् 50 साल के चले आ रहे रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए पुरानी गिरदावरी के आधार पर कब्जे की पूर्णधारणा नहीं की जा सकती।

भूमि की खातेदारी के बारे में निर्णय नियमित वाद की सुनवाई के उपरान्त किया जाना है। इस दौरान रिकार्ड के आधार पर एक पक्ष द्वारा विवादित भूमि का अन्तरण किया जाता है तो वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही असफल हो जायेगा। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के मध्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके है। गत् 50 साल के दौरान राजस्व रिकार्ड अपीलांट के पक्ष में रहा है तथा पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स ने अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में कब्जा करने का प्रयास किया है। वाद के निर्णय से पूर्व कब्जे को लेकर अन्य विवाद होने की संभावना के मद्देनजर रिकार्डेड खातेदार को कब्जे का समर्थन करना विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—05—2015 में इस आश्य का संशोधन किया जाता है कि ग्राम मूंदड़ के खसरा नम्बर 110 रकबा 4.53 हेक्टर के रिकार्ड की वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा खातेदारान् के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने से रेस्पोडेन्ट्स कानाराम, सत्यनारायण व मु. हवादेवी को प्रतिबंधित किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर